भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 199

सोमवार, 4 दिसंबर, 2023 / 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

इंडो-एशियन न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड

199. श्री के. सुधाकरन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स इंडो-एशियन न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन:यू92130केएल201ओपीटीसी026426, पंजीकरण संख्या 26426) पर अपने कर्मचारियों का वेतन, भविष्य निधि आदि के रूप में देय राशि बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बकाया देय राशि के भुगतान की वसूली के लिए कंपनी और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न और निदेशक मंडल में परिवर्तन की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत लंबित देय राशियों का भुगतान करने से पहले निदेशक मंडल में परिवर्तन की अनुमति दी थी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 14ख और 7थ के तहत समय-समय पर जांच की गई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

जारी...पृष्ठ 2/-

क्र.सं.	पूछताछ	अवधि	कुल धनराशि	स्थिति
1	7क	02/2011 to 07/2012	27,48,441/-रुपए	पूरी तरह से प्रेषित
2	7क	08/2012 to 06/2013	29,36,988/-रुपए	आरआरसी जारी
3	7क	07/2013 to 03/2014	13,58,461/- रुपए	आरआरसी जारी
4	7क	04/2014 to 08/2014	9,10,051/- रुपए	आरआरसी जारी
5	7क	09/2014 to 03/2015	12,37,463/- रुपए	आरआरसी जारी
6	7क	04/2015 to 01/2018	96,80,851/- रुपए	आरआरसी जारी
7	7क	02/2018 to 10/2019	23,18,456/- रुपए	आरआरसी जारी
आरआरसी: राजस्व वसूली प्रमाण पत्र				

क्र.सं.	पूछताछ	अवधि	14ख (रुपए में)	7थ (रुपए में)	कुल (रुपए में)	टिप्पणी
1	14ख	02/2011 to 02/2013	10,41,403/-	5,07,161/-	15,48,564/-	आरआरसी जारी
2	14ख	02/2013 to 07/2013	10,53,156/-	5,05,515/-	15,58,671/-	आरआरसी जारी
3	14ख	08/2012 to 01/2018	34,70,541/-	16,73,185/-	51,43,726/-	आरआरसी जारी

11/2019 के अनुपालन के लिए ईपीएफओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन नियोक्ता से कोई जवाब नहीं मिला है। दिनांक 16.08.2023 को ईपीएफओ द्वारा नियोक्ता को अभियोजन नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है लेकिन उससे संबंधित कोई जवाब नहीं मिला है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14ख के तहत क्षति और धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज के आकलन द्वारा बकाया राशि की वसूली 7क और प्रेषण के आधार पर की जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7क, धारा 14ख के तहत दंड क्षति और कर्मचारी भविष्य निधि और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7थ के तहत आंकलित भविष्य निधि बकायों के रूप में 1,36,45,154 रुपये की राशि प्रतिष्ठान से बकाया मांग के रूप में वसूल की जा सकती है।

जारी...पृष्ठ 3/-

(घ): ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 8 (ख) से 8 (छ) में प्रदान की गई बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिष्ठान और नियोक्ता के खिलाफ वसूली कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रमाणपत्र कार्यवाही (सीपी)-1 डिफॉल्टर को डिमांड, सीपी-3 बैंक को निषेधात्मक आदेश और सीपी-25 कारण बताओ नोटिस कार्रवाई हेतु जारी करना शामिल है। यह बताने के लिए कि प्रबंध निदेशक, श्री एन.वी. निकेश कुमार को गिरफ्तारी का वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान ने 08/2012 से 01/2018 की अवधि के लिए आवंटित दंडात्मक क्षति (14ख) और ब्याज (7थ) की वसूली के लिए दिनांक 01.08.2023 को जारी सीपी-। में मांग नोटिस के खिलाफ रिट याचिका सं. 28653/2023 फाइल की है, इसकी राशि 50,39,141/- रु. है- और केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.09.2023 के निर्णय के माध्यम से दिनांक 25.10.2023 से शुरू होने वाले 7थ ब्याज बकाया का भुगतान 15 किस्तों में करने के लिए कहा हैं और नियोक्ता ने आंशिक रूप से अदालत के निर्देश का अनुपालन किया है।

(ङ) और (च): कंपनी ने अपने बोर्ड में दो निदेशकों की नियुक्ति और कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया है। आज की तारीख तक, सरकार ने परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं दी है।

******